

ट्रैक्टर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक चोरी का ट्रैक्टर बरामद किया

छबड़ा, (निर्स)। स्थानीय पुलिस ने बारां ज़िले में ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा आरोपियों के कब्जे से चोरी का एक ट्रैक्टर भी बरामद किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक जिला बारां राज कुमार चौधरी ने बताया कि 17 अप्रैल को रामदयाल पुत्र कहैयालाल मीणा निवासी खेड़ी हाल गणपती नगर छबड़ा थाना छबड़ा जिला बारां ने एक रिपोर्ट पेश की कि मैंने 15 अप्रैल को मेरा ट्रैक्टर मय ट्रौली के रात्रि के समय मेरे मकान के सामने खड़ा किया था मेने मध्य रात्री में उठकर देखा तो मेरा ट्रैक्टर व ट्रौली मकान के सामने नहीं मिले मेरा ट्रैक्टर व ट्रौली को कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया। इस पर पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी के निर्देशन में, राजेश चौधरी अति पुलिस अधीक्षक बारां व विकास



पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

कुमार वृत्ताधिकारी छबड़ा के सुपरविजन में राजेश खटाना थानाधिकारी छबड़ा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। एएसआई जगदीश प्रसाद प्रभारी

तकनीकी शाखा बारां से तकनीकी सहायता प्राप्त की गई एवं सीसीटीवी फुटेज खंगाले गये तो यह तथ्य प्रमाणित हुये कि एक विशिष्ट संगठित अंतरराज्यीय ट्रैक्टर चोर

गैंग पूरे जिले में सक्रिय है जो योजनाबद्ध तरीके से विशेष टीम के द्वारा ट्रैक्टर चोरी की कार्यवाही को अंजाम देते है। इन चोरी के ट्रैक्टरों को एम.पी. व यू.पी. में चंबल नदी

के मुहाने पर अवैध बजरी खनन में प्रयोग करते है।

उक्त गैंग के एक सदस्य को पूर्व में 27 मई 2025 को नाकाबंदी व चेराबंदी कर अभियुक्त हृदेश उर्फ पूनम कुशवाह कुशवाह निवासी सावतखेड़ी थाना राधोगढ़ जिला गुना (म.प्र.) को गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से चोरी का एक ट्रैक्टर बरामद किया। उक्त मुल्जिम ने अनुसंधान के दौरान अपने साथी अभिषेक कुशवाह व अन्य के साथ मिलकर 15 अप्रेल को कस्बा छबड़ा से ट्रैक्टर मय ट्रौली के चोरी करना बताया। इस पर गठित टीम द्वारा मुल्जिम अभिषेक कुशवाह को गिरफ्तार किया गया व मुल्जिम हृदेश उर्फ पूनम कुशवाह को जरिये प्रोडक्शन वारंट के जेल से हिरासत में लेकर अनुसंधान किया गया। वहीं अभियुक्त अभिषेक कुशवाह की निशादेही से ट्रैक्टर को बुधवार को हमीरपुर मप्र. के जंगलों से बरामद किया गया।

ज्यूस कॉर्नर-रेस्टोरेंट पर कार्रवाई

पाली, (नि.सं.)। पाली शहर के नहर पुलिया स्थित एक ज्यूस कॉर्नर पर सोमवार को चिकित्सा विभाग के खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की। ज्यूस कॉर्नर पर करीब एक महीने पुराने फल स्टोर किए हुए मिले। वहीं डीप फ्रीज में भी सफाई नहीं मिली। उसके पास ही एक रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की, जिसमें काला तेल, पुरानी ग्रेवी मिली। इस पर उर्हें नष्ट करवाया।

डॉ. विकास नाराखाल ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पाली शहर के नहर पुलिया स्थित ज्योति ज्यूस कॉर्नर पर टीम पहुंची। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी सुरेश शर्मा के नेतृत्व में टीम ने यहां जांच की तो काफी दिन पुराने कटे फल स्टोर किए हुए मिले। इसके साथ ही जिन्हें नष्ट करवाया गया। डॉ फ्रीज भी गंदा मिला। इसी तरह टीम ने उसके पास स्थित वन बाइट रेस्टोरेंट में भी जांच की। जहां डॉ फ्रीज में ब्रांडेड कम्पनियों की फंगस लगी आईस्क्रीम मिली। पांच से सत दिन पुरानी ग्रेवी मिली जो बर्गर तैयार करने में उपयोग ली जाती थी। इस पर उसे नष्ट करवाया।

सायबर ठगी के दो शातिर ठग भीलवाड़ा से गिरफ्तार

कोटा, (निर्स)। सायबर पुलिस टीम ने सायबर ठगी की दो दर्ज रिपोर्ट के दो कार्यवाही करते हुए सायबर ठगी के दो शातिर ठगों को भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि फरियादी सलमान ने 27 मार्च को एक रिपोर्ट विज्ञान नगर थाने में दी। रिपोर्ट में कहा कि टेलिग्राम एप पर नौकरी दिलाने के बहाने प्रोडेक्ट रॉटिंग के नाम पर कान्टेंट स्क्वायर कंपनी का लिंक शेयर कर पैसे कमाने का लालच देकर अलग-अलग बैंक खातों से करीब 20 लाख रुपये ट्रांसफर करवा

■ **आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त दो मोबाइल फोन जप्त किये**

लिये। शहर एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। शहर एसपी ने बताया कि ठगों की गिरफ्तारी के लिये सायबर थाने के पुलिस उपअधीक्षक विनोद कुमार के निर्देशन में सायबर थानाधिकारी सतीश चन्द के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम ने बैंकों

से प्राप्त रिकॉर्ड का विशलेषण कर संदिग्ध वेबसाइट के डोमेन संबंधित रिकॉर्ड व सीडीआर का गहन विशलेषण कर आरोपियों को पहचान कर कार्यवाही करते हुए शिव नगर निवासी दानिश खान (20) एवं जिला भीलवाड़ा के रैगर मोहल्ला निवासी मनोज कुमार (25) को भीलवाड़ा से डिटैन कर गिरफ्तार किया। शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपियों के पास से वारदात में प्रयुक्त दो मोबाइल फोन जप्त किये एवं परिवारी को करीब 2 लाख रूपये की राशि रिफंड करवाई जा चुकी है। मामले में अनुसंधान जारी है।

लव मैरिज प्रकरण : मां व भाई ने जबरन बेटी का अपहरण किया

अजमेर, (कासं)। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में लव मैरिज के मामले में विवाहिता के अपहरण का मामला सामने आया है। मां, भाई और भाई के दोस्त बेटी की ननद के घर पहुंचे और उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए फॉर्च्यूर गाड़ी में डाल कर ले गए। पीड़ित पति और ननद ने जब विरोध किया तो उनसे भी मारपीट की। दो जुन को हुए इस पूरे प्रकरण का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विवाहिता के पीहर वाले उसे जबरन लेकर जाते नजर आ रहे हैं। पति ने विवाहिता की मां, भाई और उसके दोस्तों के खिलाफ मारपीट करने और किडनैपिंग की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं होने पर नाराज पति ने बुधवार को एसपी वंदिता राणा के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है।

■ **अपहरण का वीडियो वारयल, पति ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया**

■ **पीड़ित पति ने एसपी वंदिता राणा के समक्ष न्याय की गुहार लगाई**

अजमेर के खानपुरा निवासी पीड़ित पति संजय ने बताया कि वो और उनकी पत्नी आदर्श नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों की छह साल पहले मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच बातचीत के साथ ही मिलना जुलना शुरू हुआ। इसके बाद शादी करने का फैसला लिया। दोनों के परिवार को भी फैंसले के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। पत्नी के परिवार का कहना था कि उनकी बेटी बीटेक है और मैं सिर्फ 12 वीं पास हूं। पति संजय ने बताया कि 1

अप्रैल 2025 को आर्य समाज में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद से ही परिवार वाले धमकियां दे रहे थे, जिससे परेशान होकर वह इंदौर चला गया था। पीड़ित की ओर से आदर्श नगर थाने में इसकी शिकायत भी दी गई, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित संजय ने आरोप लगाया कि 1 जुन को अजमेर वापस आया, तब अपनी बहन के ससुराल मिलने गया था, साथ में पत्नी भी थी। इसकी भनक पत्नी के घरवालों को लग गई। तब उसकी मां, भाई और उसके साथी फॉर्च्यूर गाड़ी लेकर आए। वे जबरन पत्नी को बाल पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में डालकर ले गए। जब मैंने और मेरी बहन ने विरोध किया तो मारपीट की। मेरी बहन का मोबाइल भी तोड़ दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विवाहिता के पीहर वाले उसे जबरन ले जाते नजर आए हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में कार्यरत – जिला शिक्षा अधिकारी सस्पेंड

बीकानेर, (निर्स)। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी राकेश कुमार ढल्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। ढल्ला का मुख्यालय बीकानेर के बजाय झालावाड़ रखा गया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार विभागीय पदोन्नति के मुद्दे पर उन्हें सस्पेंड किया गया है।

बताया जा रहा है कि पिछले दिनों ढल्ला का ट्रांसफर बीकानेर से जोधपुर के लिए किया गया था। इसके बाद अब सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड टाइटम में मुख्यालय झालावाड़ रखा गया है। पिछले लंबे समय से ढल्ला माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में कार्यरत थे, जहां से

प्रभारी मंत्री आज झालावाड़ में

झालावाड़। झालावाड़ जिले में 5 से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों के संरक्षण, पुरुरक्षार और स्वच्छता के साथ-साथ जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी, 5 जून को झालावाड़ के दौर पर रहेंगे और इस अभियान की शुरुआत करेंगे।

■ **जिला शिक्षा अधिकारी का मुख्यालय बीकानेर के बजाय झालावाड़ रखा गया, राज्य सरकार ने आदेश जारी किए**

उनका तबादला कर दिया गया। तबादले के बाद से ही ढल्ला विदेश गए हुए हैं। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने निलंबन के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विभागीय पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर नाराजगी जताई थी।

फल-सब्जी विक्रेताओं के चालान काटे

कोटा, (निर्स)। प्री-मानसून बरसात के दौरान मंगलवार को भीमगंजमंडी क्षेत्र में जल भराव पर नगर निगम कोटा उत्तर ने सख्त रूख अपनाया है। निगम कोटा उत्तर आयुक्त अशोक कर्गो ने बुधवार को फल-सब्जी के अपशिष्ट और अन्य कचरा फेंक कर सब्जीमंडी नाले को

जाम कर रहे 23 फल-सब्जी विक्रेताओं के चालान काटे और 45 को चेतावनी दी। वहीं नाले की सफाई के लिए एी जेसीबी लगाई गई। नगर निगम कोटा उत्तर आयुक्त अशोक कर्गो की स्वास्थ्य अनुभाग की टीम को लेकर भीमगंजमंडी से सब्जीमंडी नाले पर पहुंचे।

दो गिरफ्तार

कोटा, (निर्स)। नान्ता पुलिस टीम ने मुखबीर की सूचना पर दो अलग-अलग स्थानों पर दो आरोपियों को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। नान्ता थाने के उप निरीक्षक थानाधिकारी नवल किशोर शर्मा ने बताया कि मुखबीर द्वारा बताये गये हुलिये के आधार पर घूम रहे व्यक्ति को डिटैन कर तलाशी ली गई। पुलिस टीम ने उसके पास से अवैध चाकू बरामद किया। पुलिस ने नान्ता निवासी अभिषेक यादव (22) को गिरफ्तार कर लिया। नान्ता थाने के उपनिरीक्षक थानाधिकारी नवल किशोर शर्मा ने बताया कि थाने के सहायक उपनिरीक्षक शिवराज सिंह मय जाप्ता इलाके में गश्त के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कोई अवैध हथियार लेकर पत्थर-मंडी सूरियन कार्यालय के समीप काई वारदात करने की फिराक में खड़ा है। मुखबीर द्वारा बताये गये हुलिये के आधार पर मौके पर खड़े व्यक्ति को डिटैन कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से अवैध बटनदार हथियार चाकू बरामद किया। पुलिस टीम ने म्दुल कुमार को गिरफ्तार किया।

पूर्व विधायक कामिनी और अन्य के खिलाफ अतिरिक्त अनुसंधान के आदेश

कोतवाली थाना में दर्ज शेरयों को लेकर धोखाधड़ी का मामला, इस मामले में कोतवाली पुलिस ने एफआर लगा दी थी

■ **परिवारी ने मामले के अतिरिक्त अनुसंधान के लिए न्यायालय से निवेदन किया था**

सिंगला, पवन सिंगला, मैनेजिंग डायरेक्टर निमला देवी जिंदल, डायरेक्टर कामिनी जिंदल, कंपनी के अन्य कर्मचारी, स्थानीय फ्रेंचाइजी के प्रभारी देवेन्द्र मित्तल, एमएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटीज लिमिटेड कंपनी सचिव, चैयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को आरोपी बताया गया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद एफआर लगा दी। अब परिवारी विष्णु अग्रवाल ने मामले के अतिरिक्त अनुसंधान के लिए धारा 193 (9) के

तहत न्यायालय से निवेदन किया था। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता जितेंद्र पाराशर ने बताया कि विष्णु अग्रवाल की दादी सरस्वती के नाम से विकास डब्ल्यूएसपी लिमिटेड के 1,79,50,000 इक्विटी शेयर 2011 में लिए गए थे। इसके अलावा विकास प्रोप्रेम्य एंड ग्रैनाइट लिमिटेड के इक्विटी शेयर भी थे। इनकी वैल्यू 20,86,12,980 रूपए थी। पाराशर ने बताया कि सरस्वती देवी की मृत्यु 2014 में हो गई। इसके बाद 2017 में फर्जी डिक्री के आधार पर शेयर ट्रांसफर किए गए। सरस्वती देवी के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा शेयर्स का बेचान या स्थानांतरण नहीं किया गया था। इसके बाद कंपनी के कार्यालय और एसएमसी ग्लोबल सिक्वोरिटी

लिमिटेड की श्रीगंगानगर स्थित फ्रेंचाइजी गणपति सिक्वोरिटी लिमिटेड के मालिक देवेन्द्र मित्तल से संपर्क किया गया लेकिन कोई सतोषजनक जवाब नहीं मिला। सेबी व पीएमओ में शिकायत करने के बाद ई-मेल के माध्यम से पता चला कि इक्विटी शेयर्स का ट्रांसफर न्यायालय के आदेश पर किया गया है। एडवोकेट पाराशर ने बताया कि न्यायालय के आदेश की नकल का आवेदन करने पर पता चला कि कोई डिग्री आदेश पारित नहीं हुआ। इसे लेकर 2023 में कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई। पुलिस ने सभी तथ्यों की जांच किए बिना एफआर लगा दी। पाराशर ने बताया कि अदालत ने कोतवाली पुलिस को अतिरिक्त अनुसंधान करने के निर्देश दिए हैं।

बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के खातों से साढ़े चार करोड़ रुपये चुराकर शेयर मार्केट में लगाए

आईसीआईसीआई बैंक की एक महिला मैनेजर को ग्राहकों के खाते से रुपए चुराने के मामले में गिरफ्तार किया

कोटा, (निर्स)। शहर के औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में स्थित आईसीआईसीआई बैंक की श्रीराम नगर शाखा में ग्राहकों के खातों से साढ़े चार करोड़ से अधिक रूपये धोखाधड़ी से चुराने का मामला सामने आया है। बैंक की पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने इस वारदात को साल 2020 से 2023 के बीच अंजाम दिया। उसने यह पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वहां अधिकांश पैसा डूब गया।

इसकी जानकारी बैंक को उसके ट्रांसफर होने के बाद उस वक्त चली, जब एक ग्राहक अपनी एफडी की जानकारी करने आया। इस पर बैंक ने फरवरी 2025 में उद्योग नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी महिला बैंक की पूर्व

■ **बैंक की पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने इस वारदात को साल 2020 से 2023 के बीच अंजाम दिया, 41 ग्राहकों के 110 से अधिक खातों से अवैध रूप से निकासी की**

मैनेजर साक्षी गुप्ता को गिरफ्तार कर एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग से भी लेनदेन किए। यह सारा पैसा डिमैट अकाउंट में भेज दिया। उद्योग नगर थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी साक्षी गुप्ता मूल रूप से रावतभाटा की निवासी है। वह विज्ञान नगर इलाके में रहती है। बैंक प्रबंधन ने इस संबंध में 18 फरवरी को मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें बताया गया था कि करीब 41 ग्राहकों के 110 से ज्यादा खातों से निकासी की

गई है। साक्षी गुप्ता ने गलत तरीके से रुपए निकालकर शेयर बाजार में लगा दिए। यह तक कि ग्राहकों के मोबाइल नंबर तक बदल दिए, ताकि ट्रांजेक्शन मैनेजर से उन्हें पता नहीं चले। उसने ग्राहकों के डेबिट कार्ड, पिन और ओटीपी के गलत इस्तेमाल कर लेनदेन किए। थानाधिकारी ने बताया कि बैंक ने 4.6 करोड़ की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक की श्रीराम नगर शांंच के वर्तमान मैनेजर ने पूर्व मैनेजर साक्षी गुप्ता के खिलाफ शिकायत दी थी। उसने 41 ग्राहकों के 110 से अधिक खातों से अवैध रूप से निकासी कर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं। पुलिस टीम ने मामले में अनुसंधान करते हुए पूर्व मैनेजर साक्षी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया।